वन विभाग की रोपणियों से ऑनलाईन आवेदन कर पौधे प्राप्त करने की व्यवस्था

1. वन विभाग में विभिन्न प्रजातियों के पौधों को खरीदने के लिये उपयोगर्ता को सबसे पहले अपनी जानकारी (प्रोफाईल) पंजीयन करना आवश्यक होगा इसके अंतर्गत दो प्रकार के उपयोगकर्ता/आवेदक पंजीयन करा सकते हैं –
   1. कृषक
   2. शासकीय विभाग/संस्था/उपक्रम
   3. निजी संस्था/उपक्रम

2. जानकारी (प्रोफाईल) पंजीकरण में कृषक/शासकीय विभाग/संस्था/निजी संस्था अपना विवरण जैसे – नाम, आयु, मोबाईल नंबर, पता, बिभाग का नाम, संपर्क अधिकारी का नाम, ई–मेल आई. डी. आदि दर्ज करेंगे ।

3. विवरण प्रस्तुत करने के बाद जानकारी (प्रोफाईल) पंजीकरण के पश्चात एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल को रू. 35/– का भुगतान करेगा।

4. आवेदक लॉगइन के बाद विभिन्न प्रजाति के पौधे खरीदने के लिये आवेदन करेगा।

5. आवेदक पौधे खरीदने के लिये अनुरोध वर्तमान वर्ष या अगले वर्ष के लिये भी दे सकेगा।

6. आवेदक पौधो का चयन करेगा तथा आवश्यक पौधों की प्रजातिवार संख्या एवं वन रोपणी का नाम चयन करेगा जहॉं से वे पौधे खरीदना चाहते है।

7. आवेदक पौधों के चयन के साथ उसके ग्रेड का भी चयन करेगा, जिससे कि पौधों के मूल्य गणना में सुविधा रहेगी। पौधों के ग्रेड तथा दर की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है।

8. आवेदक पौधों के चयन उपरांत एम.पी.ऑनलाईन को रू. 23/– फीस प्रति आवेदन भुगतान करेगा।